

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 (फाल्गुन 19, 1946)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को 11:35 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

1. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
2. श्री इन्द्र साव
3. श्री भोलाराम साहू
4. श्री ब्यास कश्यप
5. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
6. श्री रामकुमार यादव

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन मध्यान 12:00 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा